

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ क्र. २५ अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय

कोनी, बिलासपुर-४९५००९ (छ.ग.)

दूरभाष : ०७७५२-२६०२०९, फ़ैक्स : ०७७५२-२६०१५४

ई-मेल : ggvr.registrar@gmail.com, वेबसाइट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
Köni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154

E-Mail : ggvr.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक २५५/बि.प्र./विद्यापरिषद्/२०१३

बिलासपुर दिनांक : 13/09/2013

॥ अधिसूचना ॥

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक ८६/बि.प्र./२०१२ बिलासपुर दिनांक १५.०९.२०१२ के अनुक्रम में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ के परिचय १३ (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :-

१. १३(१)(iii) अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता


- १) कला - प्रो० मनीष श्रीवास्तव, आचार्य-अंग्रेजी विभाग के स्थान पर
- प्रो० व्ही.एस. राठौर, आचार्य-शारीरिक शिक्षा विभाग

२. १३(१)(iv) शिक्षण विभाग/केन्द्र के विभागाध्यक्ष

- १) इंडस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्शन इंजी. - श्री सी.पी. देवांगन, सह-आचार्य के स्थान पर
- डॉ० मुकेश कुमार सिंह, आचार्य
- २) मैकेनिकल इंजीनियरिंग - डॉ० राजेश भूषण, सह-आचार्य

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल विद्यापरिषद् के कार्यकाल के साथ अथवा पदेन पद के कार्यकाल, जो भी पहले हो, के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ० क्रमांक २५६/बि.प्र./विद्यापरिषद्/२०१३

बिलासपुर दिनांक : 13/09/2013

प्रतिलिपि -

०१. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
०२. माननीय कुलपति महोदय के सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
०३. संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
०४. विद्यापरिषद् के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।


सहा. कुलसचिव (बि.प्र.)